

गगि वरकरस के लयि सामाजकि सुरक्षा

प्रलिमिंस के लयि:

[राजसथान गगि वरकरस](#), [सामाजकि सुरक्षा योजनाएँ](#), [राष्ट्रीय मानवाधकिर आयोग \(NHRC\)](#), [मज़दूरी संहति, 2019](#), [सामाजकि सुरक्षा संहति, 2020](#), [नीतिआयोग](#)

मेन्स के लयि:

सामाजकि सुरक्षा का महत्त्व और समावेशी वकिास के लयि कल्याणकारी योजनाएँ

[स्रोत: द हद्वि](#)

चरचा में क्यों?

हाल ही में [कर्नाटक](#), [राजसथान](#) के बाद [गगि वरकरस](#) के लयि कानून लाने वाला दूसरा राज्य बना ।

- [कर्नाटक](#) सरकार ने इस कानून {[कर्नाटक प्लेटफॉर्म-आधारति गगि कर्मकार \(सामाजकि सुरक्षा और कल्याण\) वधियक](#)} का प्रारूप संस्करण प्रस्तुत कयिा जसिका लक्ष्य [बोर्ड](#), [कल्याण कोष](#) और [शकियात प्रकोष्ठ](#) स्थापति कर राज्य में प्लेटफॉर्म-आधारति गगि वरकरस की सामाजकि सुरक्षा तथा कल्याण को वनियमति करना है ।

गगि वरकरस यूनयिन ने हीटवेव को राष्ट्रीय आपदा घोषति करने की मांग की

- तेलंगाना में गगि वरकरस की यूनयिन ने [राष्ट्रीय मानवाधकिर आयोग \(NHRC\)](#) से गगि वरकरस पर हीटवेव के प्रभाव पर वचिर करने की मांग की ।
- यूनयिन की मांग है कि हीटवेव को [राष्ट्रीय आपदा](#) घोषति कयिा जाना चाहयि और [शर्मकिों के लयि सहायता प्रणाली](#) स्थापति की जानी चाहयि ।
- इसमें [स्वच्छ पेयजल](#), [ओरल रहिाइड्रेशन](#), [सुलभ शौचालय](#), [वशिराम हेतु छायादार स्थल](#), अत्यधकि गर्मी की स्थति में [कार्य के उपयुक्त घंटों](#) के वकिल्प के साथ अनवार्य वरिाम की सुवधि उपलब्ध कराने के मामले में [राज्य सरकार के हस्तक्षेप](#) सहति 10 मांगें रखी गई हैं ।

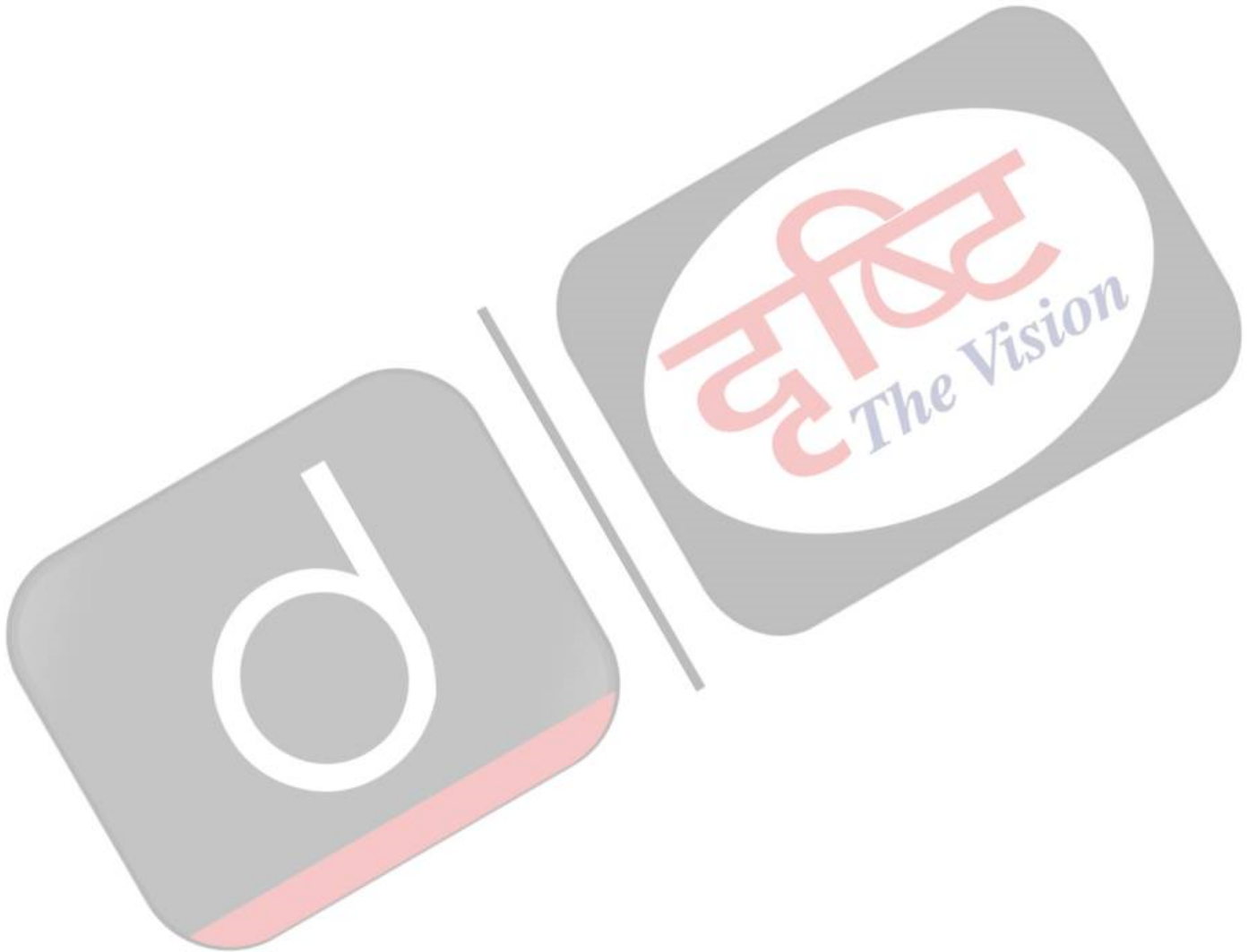
वधियक से संबंधति प्रमुख बदि क्या हैं?

- **कल्याण बोर्ड का गठन:** कर्नाटक के शर्म मंत्री, दो एग्रीगेटर अधकिारी, दो गगि वरकर और एक सविलि सोसायटी सदस्य को शामिल करते हुए एक बोर्ड का गठन कयिा जाएगा ।
 - प्रारूप वधियक में शर्मकिों के लयि [दो-स्तरीय शकियात नवारण](#) तंत्र और प्लेटफॉर्मों द्वारा नयिोजति स्वचालति नगिरानी तथा नरिणय लेने की प्रणालयिों के संबंध में अधकि पारदर्शति की परकिल्पना की गई है ।
- **समय पर भुगतान:** इस प्रारूप में एग्रीगेटरस द्वारा वरकर को प्रत्येक सप्ताह भुगतान करने और भुगतान में कटौती के कारणों के बारे में उन्हें सूचति करने का आदेश दयिा गया है ।
- **वशिष्ट पहचान:** गगि वरकर बोर्ड के साथ पंजीकरण करने के साथ सभी प्लेटफॉर्म पर प्रयोज्य [वशिष्ट पहचान](#) प्राप्त करने के लयि आवेदन कर सकते हैं ।
- **सामाजकि सुरक्षा और शकियात नवारण:** इसमें गगि वरकरस के लयि शकियात नवारण तंत्र के साथ-साथ योगदान के आधार पर सामान्य और वशिष्ट [सामाजकि सुरक्षा योजनाओं](#) तक पहुँच सुनशिचति की जाएगी ।
- **स्वायत्तता एवं संवदिात्मक अधकिार:** अनुबंधों को समाप्त करने की अधकि स्वतंत्रता तथा नयिोक्ताओं द्वारा अत्यधकि कार्य दबाव से बचना, इस वधियक के दो लक्ष्य हैं ।
 - एग्रीगेटर कसिी भी कर्मचारी को [लखिति में वैध कारण बताए बनिा](#) तथा [14 दनि की पूर्व सूचना दयि बनिा नौकरी से नहीं हटाएगा](#) ।

- **कार्यात्मक वातावरण एवं सुरक्षा:** एग्रीगेटर्स के लिये यह अनिवार्य है कि वे गगि वर्कर्स हेतु सुरक्षित कार्यात्मक वातावरण बनाए रखें।
- **कल्याण नधि:** प्रस्तावित नधि का वित्तपोषण राज्य और श्रमिक योगदान के साथ-साथ एग्रीगेटर्स से प्राप्त कल्याण शुल्क द्वारा किया जाएगा।
- **दंड:** वधियक के अंतर्गत शर्तों का उल्लंघन करने वाले एग्रीगेटर्स के लिये मूल जुर्माना 5,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है।

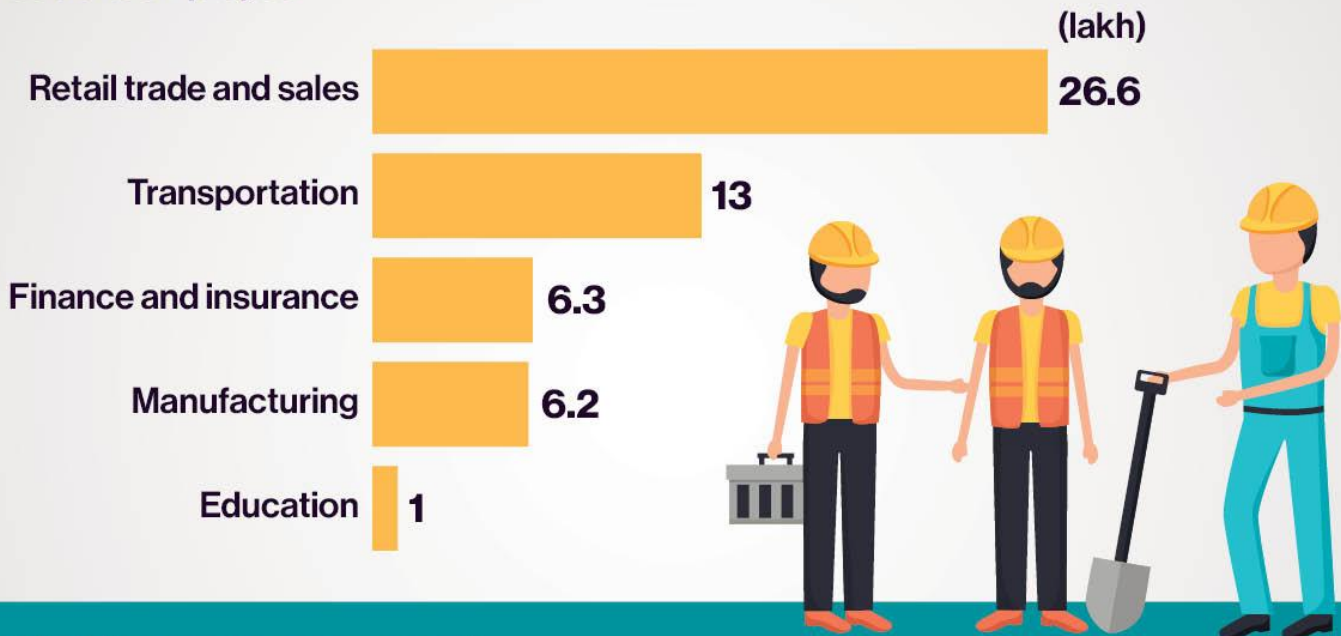
गगि वर्कर्स कौन हैं?

- **गगि वर्कर्स:** सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अनुसार, गगि इकॉनमी एक श्रम बाज़ार है जो पूर्णकालिक स्थायी कर्मचारियों के बजाय स्वतंत्र ठेकेदारों और फ्रीलांसरों द्वारा भरे गए अस्थायी और अंशकालिक पदों पर बहुत अधिक निर्भर करता है तथा साथ ही वे ऐसी गतिविधियों से लाभ अर्जित करते हैं।
- **गगि इकॉनमी:** एक मुक्त बाज़ार प्रणाली जिसमें अस्थायी पद सामान्य होते हैं और संगठन अल्पकालिक अनुबंधों के लिये स्वतंत्र श्रमिकों के साथ अनुबंध करते हैं।
 - नीतिआयोग की 2022 की रपॉर्ट का अनुमान है कि वर्ष 2029-30 तक भारत में 23.5 मिलियन गगि वर्कर्स होंगे।



GIG WORKFORCE IN INDIA

NITI Aayog, in its report, India's Booming Gig and Platform Economy, said that gig workforce in India is expanding. As of 2019-20, here's what the following sectors employed:



NITI Aayog report stated:



गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने की क्या आवश्यकता है?

- बारंबार समापन: श्रमिकों का पक्ष सुने बिना उन्हें ब्लैक लिस्ट में डालने या नौकरी से बर्खास्त करने की घटनाएँ बढ़ी हैं।
- आर्थिक सुरक्षा: यह क्षेत्र मांग पर निर्भर करता है, जिसके कारण नौकरी की असुरक्षा और आय की अनिश्चितता बनी रहती है, जिससे बेरोज़गारी बीमा, वकिलांगता कवरेज तथा सेवानिवृत्ति बचत कार्यक्रम जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने की आवश्यकता होती है।
- स्वास्थ्य बीमा: नियोक्ता द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा और अन्य स्वास्थ्य सेवा लाभों तक पहुँच की कमी के कारण गिग कर्मचारी अप्रत्याशित चिकित्सा व्यय के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। उनके स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देने से एक स्वस्थ तथा अधिक उत्पादक कार्यबल का निर्माण होगा।
- समान अवसर: पारंपरिक रोज़गार सुरक्षा से छूट से असमानताएँ उत्पन्न होती हैं, जहाँ गिग वर्कर्स को शोषणकारी कार्य स्थितियों और अपर्याप्त मुआवज़े का सामना करना पड़ता है। सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने से समान अवसर मिलेंगे।

- **दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा:** नयिकता द्वारा प्रायोजित **सेवान्वित्त योजनाओं के बनिा गगि** वर्करस को अपनी सेवान्वित्त के बाद की आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त बचत करने में कठनाई हो सकती है।

गगि वर्करस को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने में मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं?

- **वर्गीकरण और अत्यधिक लचीलापन:** 'गगि इकोनॉमी' (Gig Economy) को इसके लचीलेपन के लिये जाना जाता है, जहाँ कामगारों को यह तय करने की अनुमति मिलती है कि वे कब, कहाँ और कतिना कार्य करें।
 - इस लचीलेपन को समायोजित करने वाले तथा गगि श्रमिकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने वाले **सामाजिक सुरक्षा** लाभों को डिज़ाइन करना एक जटिल कार्य है।
- **वित्तपोषण और लागत वितरण:** पारंपरिक **सामाजिक सुरक्षा** प्रणालियाँ नयिकता और कर्मचारी के योगदान पर निर्भर करती हैं, जहाँ नयिकता आमतौर पर लागत के एक उल्लेखनीय भाग का वहन करती है।
 - पारंपरिक **सामाजिक सुरक्षा प्रणालियाँ नर्स और कर्मचारियों** के योगदान पर निर्भर करती हैं, जहाँ नर्स आमतौर पर लागत के एक उल्लेखनीय भाग का वहन करती हैं।
- **समन्वय और डेटा साझाकरण:** विभिन्न **सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिये गगि वर्करस के आय अर्जन, योगदान एवं पात्रता का सटीक आकलन करने के लिये गगि प्लेटफॉर्म**, सरकारी एजेंसियों एवं वित्तीय संस्थानों के बीच कुशल डेटा साझाकरण और समन्वय आवश्यक है।
 - लेकिन चूँकि गगि वर्करस प्रायः कई प्लेटफॉर्म या क्लाइंट्स के लिये कार्य करते हैं, जिससे इस संदर्भ में समन्वय करना और उचित कवरेज सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- **शिक्षा और जागरूकता:** कई गगि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा लाभों के संबंध में **अपने अधिकारों और पात्रता से अनभिज्ञ** भी हो सकते हैं।
 - इनकी जागरूकता बढ़ाना और सामाजिक सुरक्षा, पात्रता मानदंड एवं आवेदन प्रक्रिया के महत्त्व के बारे में शिक्षित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

गगि वर्करस से संबंधित सरकार की पहल

- **सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020** में 'गगि अर्थव्यवस्था' पर एक अलग खंड शामिल है और यह **गगि नयिकताओं पर एक सामाजिक सुरक्षा कोष** में योगदान करने का दायित्व डालता है, जिसे सरकार के नेतृत्व वाले बोर्ड द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।
- **वेतन संहिता 2019**, गगि श्रमिकों सहित संगठित और असंगठित क्षेत्रों में सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन तथा न्यूनतम वेतन का प्रावधान करती है।
- **राजस्थान अधिनियम** ने हाल ही में एक विधायक पारित किया जिसका उद्देश्य गगि श्रमिकों को **सामाजिक सुरक्षा** लाभ प्रदान करना है।

गगि वर्करस की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 का क्रियान्वयन:** हालाँकि **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020** में गगि वर्करस के लिये उपबंध मौजूद हैं, लेकिन विभिन्न राज्यों द्वारा इस संदर्भ में **नियमों को तैयार किया जाना** अभी शेष है और बोर्ड की स्थापना के संबंध में भी अधिक कुछ नहीं किया गया है। सरकार को इस दिशा में त्वरित कार्रवाई करनी चाहिये।
- **नयिकता की ज़िम्मेदारियों का वसितार:** गगि श्रमिकों के लिये **मज़बूत समर्थन** उन गगि कंपनियों की तरफ से आना चाहिये जो **इसदक्ष एवं नमिन** लागत वाली कार्यव्यवस्था से **लाभान्वति** होती हैं।
 - गगि वर्करस को **स्व-नियोजित या स्वतंत्र अनुबंधकरता** के रूप में वर्गीकृत किया जाए, व्यवहार्यतः यह उचित नहीं भी हो सकता है।
 - कंपनियों को नियमित कर्मचारी के समान लाभ प्रदान किये जाने चाहिये।
- **शिक्षा एवं प्रशिक्षण:** सरकार को गगि श्रमिकों के कौशल में सुधार लाने तथा उनकी कमाई की क्षमता बढ़ाने के लिये **शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश** करना चाहिये।
- **सरकारी सहायता:** सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने की ज़िम्मेदारी साझा करने हेतु **नषिपक्ष एवं पारदर्शी तंत्र स्थापित करने के लिये सरकारों, गगि प्लेटफॉर्मों एवं श्रमिक संगठनों के बीच सहयोग स्थापित करना**।
 - उदाहरण के लिये, **आयुष्मान भारत** जैसी योजनाओं को नयिकता के साथ लागत साझा करते हुए गगि श्रमिकों को भी कवर करने हेतु बढ़ाया जाना चाहिये।
- **अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों को अपनाना:** ब्रिटन ने गगि श्रमिकों को "श्रमिक" के रूप में वर्गीकृत करके एक मॉडल स्थापित किया है, जो कर्मचारियों तथा स्व-रोज़गार वाले लोगों के बीच की श्रेणी है।
 - इससे उन्हें **न्यूनतम वेतन, सवैतनिक छुट्टियाँ, सेवान्वित्त लाभ योजनाएँ और स्वास्थ्य बीमा** सुरक्षित होता है।
 - उन्हें **इंडोनेशिया में स्वास्थ्य, दुर्घटना और मृत्यु बीमा** आदिके अधिकार प्राप्त हैं।
- **महिला सशक्तीकरण को गगि इकोनॉमी से जोड़ना:** ऐसे भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढाँचे के निर्माण की आवश्यकता है जो गगि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी का समर्थन करे।

दृष्टिभेन्स प्रश्न:

प्रश्न: भारत में गगि वर्करस को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित आवश्यकताओं और चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। साथ ही इस संदर्भ में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों पर भी प्रकाश डालिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न:

प्रश्न. नमिनलखिति पर वचिर कीजयि: (2012)

1. होटल और रेस्तराँ
2. मोटर परविहन उद्योग
3. समाचार-पत्र प्रतष्ठान
4. नजिी चकितिसा संस्थान

उपर्युक्त में से कसि इकाई/कनि इकाइयों के कर्मचारी, 'कर्मचारी राज्य बीमा योजना' के अंतर्गत 'सामाजिक सुरक्षा' कवच प्राप्त कर सकते हैं?

- (a) केवल 1, 2 और 3
- (b) केवल 4
- (c) केवल 1, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (d)

प्रश्न:

प्रश्न. भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप औपचारिक क्षेत्र में रोजगार कैसे कम हुए? क्या बढ़ती हुई अनौपचारिकता देश के विकास के लिये हानिकारक है? (2016)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/social-security-for-gig-workers>